न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/32/2019	17–09–2019	29–11–2019

1– महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।
2– गिर्राज शर्मा पुत्र किशोरीलाल शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मुण्डावर इंतकाल संख्या 3040 दिनांक 20.08.2019

उपस्थितः–

01. श्री पंकल शर्मा –वकील अपीलान्ट
02. श्री अनिल गुप्ता –वकील रैस्पो0 सं. 2

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 20.08.2019 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3040 वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 903, 916, 918, 919, 920 वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर में स्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 1914/0.71 है0 कायम हुआ है। जो आराजी ठाकूरसिंह निवासी बेहरोज की खातेदारी की आराजी थी। ठाकूर सिंह के द्वारा मिन अपीलांट के पिता भगवान सिंह को जरिये बयनामा दिनांक 15.03.1972 को आराजी साबिक खसरा नम्बर 918 रकबा 1.5 बीघा खरीद किया था तथा मौके पर भौतिक रूप से भगवान सिंह को कब्जा सम्भलवा दिया गया था। भगवान सिंह का देहांत हो चुका है। जिनका वारिस अपीलांट है। इसी प्रकार विक्रेता ठाकूरसिंह का भी देहांत हो चुका है। किन्तु उनके वारिसान द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से विवादित आराजी का इंतकाल सं0 2262 अपने नाम दर्ज व स्वीकार करा लिया गया। जिसके आधार पर ठाकूर सिह के वारिसान द्वारा उक्त आराजी का बेचान गिर्राज पुत्र किशोरी रैस्पो0 सं. 2 को कर दिया। जिसका इंतकाल सं0 3040 दर्ज व स्वीकृत करा लिया। उक्त इंतकाल विधि विरूद्ध एवं बिना मौका जांच किया गया है। अपीलांट के पिता द्वारा उक्त आराजी को दिनांक 15.03.1972 को जरिये बयनामा खरीद किया गया था। जिस आराजी पर पहले पिता व उनके बाद मिन अपीलांट काबिज चले आ रहे है। लेकिन तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर कब्जे की जांच नहीं की गई। उक्त आराजी को साबिक खातेदार ठाकूर सिंह द्वारा मिन अपीलांट को विक्रय करने के बाद ठाकूर सिंह के वारिसान को इंतकाल अपने नाम दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ठाकूर सिंह के वारिसान द्वारा बिना अधिकार के आराजी को आगे गिर्राज को विक्रय कर दिया। इसलिए खरीददार गिर्राज को भी कोई अधिकार पैदा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

नहीं होते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल सं0 3040 दिनांक 20.08.2019 तहसीलदार मुण्डावर निरस्त फरमाया जावें तथा विवादित आराजी की बाबत इंतकाल मिन अपीलांट के पक्ष में दर्ज व स्वीकृत करवायें।

विद्वान वकील रेस्पो0 सं0 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रा0पत्र 96 जाप्ता दीवानी के तहत अपील पेश करने की इजाजत नहीं ली गई है। यदि उक्त विक्रित भूमि को पुनः बेचान किया गया था तो अपीलांट द्वारा एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जिस दिन उक्त विवादित आराजी को खरीद किया गया था उस दिन उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं था। अपीलांट के द्वारा वर्ष 1972 के 47 वर्ष बाद अपील पेश की गयी है। उक्त विवादित आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के यहां वाद विचाराधीन है। उसमें भी अपीलांट द्वारा 01 बीघा 09 बिस्वा आराजी की मांग की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली व मूल इंतकाल के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व इंतकाल सं0 2262 दि0 05.11.2012 दर्ज व स्वीकार होने के उपरांत भी अपीलांट द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गयी। इंतकाल सं0 3040 दि0 20.08.2019 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा जो अपील पेश की गयी है वह इंतकाल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड बयनामे से दर्ज किया गया है। जिस इंतकाल को दर्ज व स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। यदि रैस्पो0 सं0 2 को किया गया बयनामा गलत था, तो अपीलांट को बयनामा निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा दि0 21.12.2015 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के यहां एक दावा इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती का किया हुआ है, जो विचाराधीन है। जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय होना है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29–11–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार